भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3231
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

कर्नाटक में न्यायिक अवसंरचना के लिए निधि

3231. श्री गोविंद मकथप्पा कारजोल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कर्नाटक राज्य में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास की केंद्र प्रायोजित योजना तथा राज्य के अंशदान के अंतर्गत आबंटित, स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक परियोजना की जिला-वार अनुमानित लागत, जारी राशि, उपयोग की गई राशि और वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और न्यायालयी अवसंरचना संबंधी स्वीकृत कार्य, जिनमें न्यायालय कक्ष, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयां, अधिवक्ता कक्ष, रिकॉर्ड रूम, शौचालय परिसर और अन्य न्यायिक अवसंरचना का निर्माण शामिल है, का ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान चित्रदुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में न्यायिक अवसंरचना विकास के लिए कितनी निधि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है तथा किए गए कार्यों और उनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का कर्नाटक में, विशेषकर चित्रदुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त निधि स्वीकृत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार में निहित रहता है। तथापि, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों की वृद्धि के लिए, केंद्रीय सरकार 1993-94 से जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) कार्यान्वित कर

रही है। कर्नाटक की दशा में, केन्द्र तथा राज्य में निधि 60:40 के अनुपात में सांझा की जाती है। स्कीम के अंतर्गत पांच घटक आते हैं, अर्थात् न्यायालय हाल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय यूनिट, अधिवक्ता हॉल, शौचालय परिसर तथा डिजिटल कम्पयूटर कक्ष ।

पिछले पांच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सीएसएस के अधीन कर्नाटक राज्य को जारी तथा उनके द्वारा उपयोग की गई केंद्रीय निधि, वर्ष-वार निम्नानुसार है:

(करोड़ रू में)

वित्तीय वर्ष	**जारी की गई केंद्रीय निधि**	**उपयोग की गई केंद्रीय निधि**
2021-22	27.00	27.00
2022-23	82.01	82.01
2023-24	133.16	133.16
2024-25	73.92	73.92
2025-26	34.09	34.09
2026-27 (03.08.2026 की स्थिति के अनुसार)	5.33 (जारी मूल स्वीकृति)	0.00

(ख) : उपरोक्त सीएसएस के अधीन, परियोजनाएं संबद्ध राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों तथा उच्च न्यायालयों द्वारा पहचान की जाती है । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त ब्यौराबद्ध मांगों के पश्चात्, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को एक अंतरिम निधि का आबंटन किया जाता है तथा मूल स्वीकृति राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी की जाती है । राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सीएसएस के मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करते हुए मूल स्वीकृति की सीमा के भीतर पहचान की गई परियोजनाओं पर व्यय उपगत कर सकते हैं । न्याय विकास पोर्टल तथा एमआईएस पोर्टल पर कर्नाटक राज्य द्वारा अपलोड की गई सूचना के अनुसार जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए (31.05.2026 की स्थिति के अनुसार) अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के अधीन, न्यायालय हॉल, आवासीय यूनिट, अधिवक्ता हॉल, शौचालय परिसर तथा उपलब्ध डिजिटल कंप्यूटर कक्ष और अन्य निर्माण के ब्यौरे, निम्नानुसार हैं :-

घटक	**उपलब्ध**	**निर्माणाधीन**
न्यायालय हॉल	1278	218
आवासीय यूनिट	1199	46
अधिवक्ताओं का हॉल	20	40
शौचालय परिसर	240	672
डिजिटल कंप्यूटर कक्ष	18	56

(ग) : कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान चित्रदुर्गा निर्वाचन-क्षेत्र में 2.61 करोड़ की प्राक्कलित लागत में से, दो न्यायाधीश क्वार्टरों के भवन के निर्माण के लिए 1.35 करोड़ रुपये की राशि उपयोग की गई है ।

(घ) : वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, 13.05.2026 को कर्नाटक राज्य को 10.66 करोड़ रुपये के अंतरिम आबंटन के प्रति 5.33 करोड़ रुपये की मूल स्वीकृति जारी की गई थी, जिसके संबंध में व्यय आज तक शून्य है। ऊपर उल्लिखित के अनुसार, राज्य सरकार सीएसएस के मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करते हुए, पहचानी गई परियोजनाओं पर व्यय उच्च न्यायालय के परामर्श से मूल स्वीकृति की सीमाओं के भीतर रहते हुए उपगत कर सकती है ।
